न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) बी के तहत

अनुमति वाद संख्या –आर० एम० 59/2022–23

अम्बिका देवी उर्फ अम्बिका वाला देवी...विक्रेता

बनाम

सीमा कुमारी.. ....क्रेता

आदेश की तारीख	आदेश	
1	2	3
28.03.2023		

विक्रेता का नाम एवं पता– अम्बिका देवी उर्फ अम्बिका वाला देवी पति–योगेश्वर महतो, पिता–स्व०सुरेन्द्र नाथ महतो, ग्राम–नीमडीह, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी,(महतो) पेशा–गृहिणी।

क्रेता का नाम एवं पताः– सीमा कुमारी पिता/पति–अशोक महतो उर्फ अशोक कुमार महतो, ग्राम–नीमडीह, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी (महतो) पेशा–गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नामः– श्री मनोज कुमार चौधरी।

विकेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 18/08/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) बी के तहत क्रेता सीमा कुमारी पिता/पति–अशोक महतो उर्फ अशोक कुमार महतो, ग्राम–नीमडीह, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी,(महतो) पेशा–गृहिणी के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री/दान/बसियतनामा/बदलेन हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी

मौजा–ताऊ, थाना–बुण्डू, थाना सं०–27, जिला–राँची

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
32	1003	10 डी०	उ०–ग्रामीण रास्ता द०–प्लॉट संख्या 1003 का अंश पू०–अर्जून महतो प०– 12 कड़ी का रास्ता

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी बुण्डू का पत्रांक–91 (।।) दिनांक 20/02/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत दपु हलदार वल्द राधा किष्टो हलदार कौम–गंधवानी के नाम से दर्ज है।
2. पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम अम्बिका देवी पति–योगेश्वर महतो है । जो विक्रेता स्वंय है।
3. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 1998–1999 तक वसूली की गई है।
4. खरीदगी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
5. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाड़–।।। किस्म है।
6. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति नहीं है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका का पूर्ण अंश है।
8. प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–2.06 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
9. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी हेतु बिक्री कर रहे है।

28.03.2023

10. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा रही है।
11. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है, जो बी. सी.–। के अन्तर्गत आता है।
12. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है।
13. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं की गई है।
14. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
15. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
16. प्रस्तावित भूमि के बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु खतियानी भूमि बचता है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी बुण्डु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) बी के तहत अम्बिका देवी उर्फ अम्बिका वाला देवी पति–योगेश्वर महतो, पिता–स्व०सुरेन्द्र नाथ महतो, ग्राम–नीमडीह, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी,(महतो) पेशा–गृहिणी ने क्रेता/विपक्षी सीमा कुमारी पिता/पति–अशोक महतो उर्फ अशोक कुमार महतो, ग्राम–नीमडीह, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी,(महतो) पेशा–गृहिणी के हाथों बिक्री/दान/बसियतनामा/बदलेन करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 18/08/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित जमीन की विक्रेता अम्बिका देवी उर्फ अम्बिका वाला देवी पति–योगेश्वर महतो, पिता–स्व०सुरेन्द्र नाथ महतो, ग्राम–नीमडीह, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी,(महतो) पेशा–गृहिणी को क्रेता/विपक्षी सीमा कुमारी पिता/पति–अशोक महतो उर्फ अशोक कुमार महतो, ग्राम–नीमडीह, पो०–सोनाहातु, थाना–सोनाहातु जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी,(महतो) पेशा–गृहिणी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (I) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डु/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की बिक्री/दान/बसियतनामा/बदलेन सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

<u>बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी</u>

मौजा–ताऊ, थाना–बुण्डू थाना सं०–27, जिला–राँची

खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	चौहदी
32	1003	10 डी०	उ०–ग्रामीण रास्ता द०–प्लॉट संख्या 1003 का अंश पू०–अर्जून महतो प०– 12 कड़ी का रास्ता

लेखापित एवं संशोधित

28/03

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।

28/03

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.07.03 18:26:46 +05:30
Location: 10.93.79.19